Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Miscellaneous Anganbari Revision No.- 30 /2019

Pushpa Kumari .....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	11.03.2023	**आदेश** प्रस्तुत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा विविध आंगनबाड़ी अपील वाद सं0–24/2017 में दिनांक–04.10.2019 को पारित एवं ज्ञापांक–1125, दिनांक–11.10.2019 द्वारा संसूचित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज देवगाँव के वार्ड सं0–03 के आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–248 आजमनगर में सेविका के पद पर वहाली हेतु आवेदिका के साथ अन्य अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। उक्त पद पर चयन हेतु आमसभा आयोजित करते हुए विपक्षी सं0–02, पार्वती कुमारी के फर्जी एवं अमान्य संस्थानों से प्राप्त डिग्री के आधार पर चयन कर लिया गया। उक्त चयन के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के समक्ष विविध आंगनबाड़ी अपील वाद सं0–24/17 दायर किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक–04.10.2019 में सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए चयनित सेविका विपक्षी सं0–02 के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें चयन से मुक्त कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि संबंधित मामले में विपक्षी सं0–01 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी सं0–03 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आजमनगर के द्वारा कोई नियमानुकूल चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किये जाने के कारण इनके द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर की है। आवेदिका मेधा सूची के क्रमानुसार तथा वैध दस्तावेजों के आधार पर उक्त सेविका पद पर इनका दावा बनता है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा	

Web Copy. Not Official.

पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

क्रमशः

लगातार
11.03.2023

दूसरी तरफ विपक्षी सं0–02 पार्वती कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं पोषणीय नहीं है। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत देवगाँव में आंगनबाड़ी सेविका पद हेतु विपक्षी सं0–02 पार्वती देवी एंव अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया था, समर्पित आवेदन के पश्चात दिनांक–15.11.2017 को विधिवत आमसभा आयोजित करते हुए विपक्षी पार्वती देवी का सेविका पद पर चयन करते हुए चयन पत्र निर्गत किया गया। विपक्षी पार्वती कुमारी का चयन के पश्चात आवेदिका के द्वारा इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर आपत्ति संधारित करते हुए वाद दायर किया गया। आवेदन में उल्लेख किया है कि विपक्षी पार्वती कुमारी के द्वारा Board of higher education, Delhi से निर्गत प्रमाण पत्रों को संलग्न कर आवेदन आवेदित किया है जो पूर्णतः गलत है क्योंकि उक्त बोर्ड/संस्थान मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं है। निम्न न्यायालय में आवेदिका के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–21035/13 श्रीती सोनिका वर्मा बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 05. 12.2014 को पारित आदेश का हवाला दिया गया। उक्त आदेश में Board of higher education, New Delhi के अमान्य संस्थानों को चिन्हित किया गया है। जबकि विपक्षी सं0–02 का शैक्षणिक प्रमाण पत्र Board of higher education, Delhi से निर्गत है, जो एक वैध संस्थान है। इनका आगे कथन है कि सेविका पद के चयन पश्चात प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए केन्द्र का संचालन कर रही थी। तत्पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आजमनगर द्वारा इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच कराई गई उक्त जाँच प्रतिवेदन में इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को सही ठहराया है। साथ हीं निम्न न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–153/13 पियुषकांत भारती एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–24.01.2013 को पारित आदेश एवं एल0पी0ए0 सं0–769/ 12 में दिनांक–03.10.2013 को पारित आदेश के आलोक में कुर्सेला परियोजना के अंतर्गत रंजू देवी, पति–नरेश राम कार्य कर रही है तथा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–14203/2011 में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), कटिहार के पत्रांक–1000, दिनांक–15.03.2013 द्वारा शिक्षकों को

Web Copy. Not Official.

	लगातार 11.03.2023	पुनर्जिवीत करने हेतु आदेश पारित किया गया है। इतना ही नही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–721/स्था0शि0, दिनांक–28.04.2018 क्रमशः द्वारा मो0 नसीरउद्दीन, पंचायत शिक्षक, प्रखंड–बलनामपुर, जिला–कटिहार का लंबित वेतन का भुगतान किया गया है। विपक्षी पार्वती देवी के प्रवेश पत्र में स्पष्ट अंकित है कि यह संस्थान भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है। इनका आगे कथन है कि इस प्रकार के सदृश्य मामले में आदेश पारित किया गया है यथा आंगनबाड़ी वाद सं0–26/20 संत्वना देवी वनाम राज्य सरकार। इस प्रकार इनकी ओर से निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करते हुए उक्त पद पर चयन हेतु आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका चयन की प्रक्रिया 2017 में आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 के प्रावधानानुसार की गई थी। मार्गदर्शिका 2016 के अनुसार चयन प्रक्रिया में अपील की सुनवाई जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता के स्तर से की जानी है तथा उनका आदेश अंतिम आदेश माना जायेगा। इस प्रकार उक्त के आधार पर प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय/प्राधिकार में वाद दायर कर सकते है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.